Accountant General (AMG-IV) Sectt.

Gen Diary No. 33 Date 4.10.23

WM-VI (2023-24) DAG-03 / 13.10.2023

बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग

डैनंदिनी सं० 217 (लेखा परीक्षा) दिनांक 4/10/23

A.G.B. 27 SEP 2023 PATNA

पत्रांकः यो0आ0–10/4–19/2022 /यो0वि0,पटना,दिनांक सितम्बर, 2023

प्रेषक,

रणजीत कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव

सेवा में,

डाक/ई–मेल

मुख्य अभियंता,
सभी अधीक्षण अभियंता,
सभी कार्यपालक अभियंता,
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, बिहार।

विषयः **वित्तीय लेन–देन के मामले में निरीक्षण किये जाने से संबंधित दिशा–निर्देश के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि श्री कृष्ण चन्द्र कुमार, तत्कालीन डाटा इन्ट्री ऑपरेटर, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–02, जगदीशपुर, भोजपुर द्वारा कुल रू0 2,39,52,711/- की सरकारी राशि की अवैध निकासी CFMS प्रणाली के अंतर्गत Maker के पदीय दायित्व का निर्वहन करने के दरम्यान Checker एवं Approver का ID और Password प्राप्त कर किया गया है। श्री कुमार, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर द्वारा लिखित रूप में स्वीकार भी किया गया है कि उनके द्वारा उपरोक्त राशि की अवैध निकासी की गई है।

CFMS प्रणाली से निकासी संबंधी वित्त विभाग बिहार, पटना के पत्रांक 2684 दिनांक 02.04.2018 द्वारा दिये गए दिशा निर्देशों के उपरान्त भी निकासी अवधि में Checker एवं Approver के रूप में कार्यरत पदाधिकारियों द्वारा विपत्रों को पारित करने से संबंधित Password विपत्रों की जाँच किये बगैर ही श्री कुमार, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर को दे दिया गया, फलस्वरूप उक्त अवैध निकासी कर ली गयी।

राशि की निकासी की अवधि में उक्त कार्य प्रमण्डल में पदस्थापित पदाधिकारियों द्वारा CFMS अंतर्गत Checker एवं Approver के लिए पदीय दायित्व के संबंध में वित्त विभाग, बिहार (पत्रांक 2684 दिनांक 02.04.2018) द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया। यह कृत्य उनके द्वारा अपने कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही, स्वेच्छाचारिता एवं नियमों की अवहेलना करने की प्रवृति को परिलक्षित करता है।

भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृति न हो इस हेतु सभी कार्यालय को निदेशित किया जाता है कि,

1. वित्तीय लेन–देन के मामले में कार्यालय प्रधान द्वारा प्रत्येक माह में एवं वरीय पदाधिकारी (मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता) द्वारा प्रत्येक तीन (3) माह पर निरीक्षण किया जायेगा।

DAG AMG-IV — Audit — Sr. AO/Rep-II AMG-IV — 290923H0375 — 1248132 9/10/23

2. सभी पदाधिकारी निरीक्षण प्रतिवेदन मुख्य अभियंता, पटना को समर्पित करना सुनिश्चित करेगे।

3. मुख्य अभियंता, पटना द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन विभाग में अपने मंतव्य / अनुशंसा के साथ समर्पित की जायेगी।

अनुरोध है कि उपरोक्त दिशा–निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

ह0 / –

(रणजीत कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः यो0आ0–10 / 4–19 / 2022 4374 / यो0वि0,पटना,दिनांक 22 सितम्बर, 2023

प्रतिलिपिः महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव